न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर

बइजलास डॉ. दिव्या आर.ए.एस.

अनुवान मीनालाल बनाम जीवणमल आदि

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

वादपत्र सं. 292/2022

निर्णय दिनांक 03.12.2024

मीनालाल पुत्र हेमाराम जाति जांगिड़ निवासी वार्ड नं0 15 सरदारशहर जिला चूरू

–वादी

बनाम्

1. जीवणमल पुत्र गणपतराम जाति जांगिड़ निवासी वार्ड नं0 14 सरदारशहर जिला चूरू
2. मांगीलाल पुत्र गणपतराम जाति जांगिड़ निवासी वार्ड नं0 14 सरदारशहर जिला चूरू
3. रतनलाल पुत्र मोहन जाति जांगिड़ निवासी वार्ड नं0 14 सरदारशहर जिला चूरू
4. डूंगरराम पुत्र नन्दराम जाति जांगिड़ निवासी वार्ड नं0 14 सरदारशहर जिला चूरू
5. शंकरलाल पुत्र नन्दराम जाति जांगिड़ निवासी वार्ड नं0 14 सरदारशहर जिला चूरू
6. हंसकौरदेवी पत्नी डूंगरराम जाति जाट निवासी वार्ड नं0 15 सरदारशहर जिला चूरू
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सरदारशहर जिला चूरू

– प्रतिवादीगण

8. केशव उर्फ केशरीचन्द पुत्र हेमाराम जाति जांगिड़ निवासी वार्ड नं0 15 सरदारशहर जिला चूरू
9. माणकचन्द पुत्र हेमाराम जाति जांगिड़ निवासी वार्ड नं0 16 सरदारशहर जिला चूरू
10. विजयकुमार पुत्र हेमाराम जाति जांगिड़ निवासी वार्ड नं0 18 सरदारशहर जिला चूरू

– गौण प्रतिवादीगण

उपस्थिति –

1. श्री सांवरमल सारण एडवोकेट वास्ते वादी
2. श्री अजय कुमार सारण एडवोकेट वास्ते प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व 8 ता 10
3. श्री प्रीतमसिंह शेखावत एडवोकेट वास्ते प्रतिवादी संख्या 4 ता 6
4. पैरोकार राज वास्ते प्रतिवादी सं0 7

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रोही मौजा साजनसर तहसील सरदारशहर में स्थित कृषि भूमि गत ख० नं0 321/252 तादादी 5.06 हैक्टेयर, ख० नं0 322/252 तादादी 10.54 हैक्टेयर वादी एवं गौण प्रतिवादीगण सं० 8 ता 10 के पिता हेमाराम एवं प्रतिवादीगण सं० 1 ता 2 के पिता गणपतराम तथा प्रतिवादी सं० 3 के पिता मोहन के नाम रही है। वादगत कृषि भूमि के गत ख० नं0 252 तादादी 60 बीघा 10 रोही साजनसर रहे है जो भूमि वादी एवं गौण प्रतिवादीगण सं० 8 ता 10 एवं प्रतिवादीगण सं० 1 ता 3 के पूर्वज आशाराम ने प्रतिवादीगण सं० 1 व 2 के पिता गणपतराम व प्र[illegible] सं[illegible] के पिता मोहन के नाम से खरीद की थी। तत्पश्चात उक्त भूमि में से 20 बीघा भूमि का [illegible] दिनांक 20.05.1993 को गणपतराम व मोहनलाल ने जरिये मुखत्या[illegible] [illegible] लाल पि० मोहनलाल द्वारा वादी [illegible] गौण प्रतिवादीगण सं० 8 ता 10 के पिता हेमाराम पुत्र [illegible] आशाराम को विक्रय की गई थी [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.12.26 16:38:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

Scanned with OKEN Scanner

उक्त भूमि में से दिखणादे व आथूणे पासे की भूमि का कब्जा वादी एवं गौण प्रतिवादीगण सं० 8 ता 10 के पिता को सौंप दिया था जिस पर बैनामा की दिनांक से वादी एवं गौण प्रतिवादीगण सं० 8 ता 10 काबिज काश्त चले आ रहे है। वादगत कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं० 2 मांगीलाल ने अपनी हिस्सा भूमि में से कुछ भूमि प्रतिवादीगण सं0 4 ता 6 को विक्रय कर दी। वर्तमान में वादगत कृषि भूमि वादी एवं गौण प्रतिवादीगण सं० 8 ता 10 एवं प्रतिवादीगण सं० 1 ता 6 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज है।

वादगत कृषि भूमि पूर्व में एकल खसरा नं0 252 थी जिसका विभाजन वादी एवं गौण प्रतिवादीगण सं० 8 ता 10 के पिता हेमाराम एवं प्रतिवादीगण सं० 1 ता 3 के पिता गणपतराम व मोहनलाल के मध्य किया गया जिसके पश्चात वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड को कम्प्यूटराईज करके ऑनलाईन किया गया है जिसमें नये खसरा नम्बर व नक्शों में अपडेशन किया गया है। उक्त अपडेशन के दौरान राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहबन से रही भूलवश वादी एवं गौण प्रतिवादीगण सं० 8 ता 10 के नाम की दिखणादे–आथूणे पासे कृषि भूमि ख० नं0 321/252 तादादी 5.0600 हैक्टेयर का नया खसरा नं0 326 तादादी 5.0600 हैक्टेयर रोही मौजा साजनसर जारी करते हुए उक्त भूमि को नक्शा में उतरी तरफ से कम करते हुए दर्शाते हुए वादी एवं गौण प्रतिवादीगण सं० 8 ता 10 की भूमि का ख० नं0 327 तादादी 10.5400 हैक्टेयर रोही साजनसर में सम्मिलित करते हुए नक्शा तरमीम कर दिया जो अशुद्ध नक्शा है। जिस कारण वादी एवं गौण प्रतिवादीगण सं० 8 ता 10 की भूमि राजस्व रिकॉर्ड के अंकन के मुकाबले मौका पर कम हो गई। जिसका सही व गलत नक्शा निचे अंकितानुसार है:–

"अशुद्ध नक्शा"

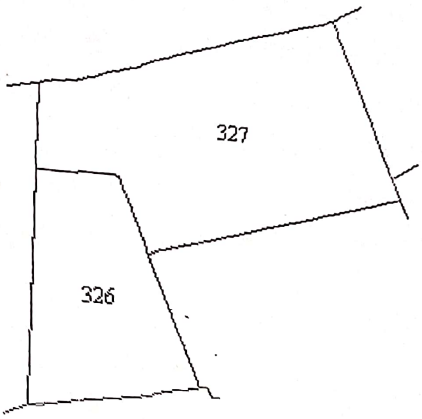

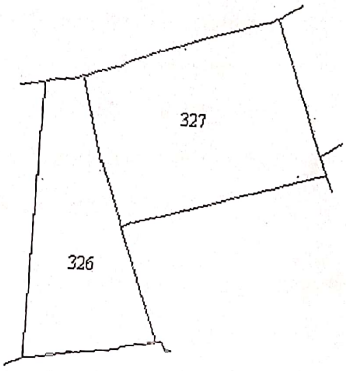

"शुद्ध नक्शा"

वादगत कृषि भूमि पर बैनामा की दिनांक से वादी एवं गौण प्रतिवादीगण सं० 8 ता 10 का मद सं० 2 में दर्शाये गये 'शुद्ध नक्शा' के अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है और उसी अनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड नक्शा में हिस्सा तरमीम था। लेकिन वर्तमान में बन्दोबस्त विभाग द्वारा राजस्व रिकॉर्ड के ऑनलाईन अपडेशन के दौरान वादगत कृषि भूमि ख० नं० 326 एवं 327 के नक्शा किश्तवार में सहबन से लिपिकीय त्रुटिवश वादी एवं गौण प्रतिवादीगण सं० 8 ता 10 का दिखणादे–आथूणे पासे का हिस्सा मद सं० 2 में दर्शाये 'अशुद्ध नक्शा के अनुसार गलत तरमीम कर दिया गया। जिस कारण वादी एवं गौण प्रतिवादीगण सं० 8 ता 10 की भूमि मौका पर रकबा से कम हो गई।ए लिपिकीय त्रुटिवश की गई गलत तरमीम को मौके की कब्जा काश्त के अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.12.26 16:38:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

Scanned with OKEN Scanner

नक्शा किश्तवार में हुई गलती को दुरूस्त करवाकर दर्ज करवाये। जिस हेतु यह वाद अदालतवाला के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। वादी कृषि पेशा व्यक्ति होने से वादी को नक्शा किश्तवार में मौके की कब्जाकाश्त अनुसार तरमीम नहीं होने का कोई ईल्म नहीं हुआ और मौके की कब्जा काश्त के अनुसार ही नक्शा तरमीम होना मानते हुए वादी एवं गौण प्रतिवादीगण सं० 8 ता 10 काश्त करते रहे, अब वादी ने वादगत कृषि भूमि के नक्शा किश्तवार की प्रतियां हासिल की तो वादी को गलत तरमीम बाबत ईल्म हुआ जिस पर वादी एवं गौण प्रतिवादीगण सं० 8 ता 10 अपने साथ प्रतिवादीगण सं० 1 ता 6 को साथ लेकर प्रतिवादी सं० 7 तहसीलदार से मिले तब प्रतिवादी सं० 7 ने न्यायालय के मार्फत दुरूस्त करवाने की सलाह दी जिस पर वादी ने प्रतिवादीगण सं० 1 ता 6 को साथ चलकर गलत तरमीम को दूरूस्त करवाने का कहा एवं कहलवाया तो प्रतिवादीगण सं० 1 ता 6 ने तरमीम गलत होना स्वीकारते हुए भी साथ चलकर दूरूस्ती करवाने से बमुकाम रोही साजनसर दिनांक 30.07.2022 को साफ इनकार कर दिया लिहाजा यही तिथि बिनाए मुखास्मत दावा हाजा है एवं बिनाए दावा वादी वादगत कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार होने से हर समय हासिल है। वादगत कृषि भूमि में वादी के समान ही गौण प्रतिवादीगण सं० 8 ता 10 का हिस्सा निहित है लेकिन वोह वादी के साथ आकर दावा करने में असमर्थ रहे है इसलिए उन्हें बतौर गौण प्रतिवादी पक्षकार वाद संयोजित किया गया है ताकि दावा में कोई कानूनी नुक्स ना रहे।

वादी ने वाद पेश कर निवेदन किया कि घोषित किया जावे कि रोही साजनसर तहसील सरदारशहर में स्थित कृषि भूमि ख० नं0 326 तादादी 5.0600 हैक्टेयर भूमि के वादी एवं गौण प्रतिवादीगण सं० 8 ता 10 खातेदार काबिज काश्तकार हैं तथा ख० नं0 327 तादादी 10.2400 हैक्टेयर रोही साजनसर के प्रतिवादीगण सं० 1 ता 6 खातेदार काबिज काश्ताकार होने से मौके की कब्जा काश्त के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड नक्शा किश्तवार में तरमीम करवाने के अधिकारी होने से लिपिकीय त्रुटिवश हुई गलत तरमीम को दावा की मद सं० 2 में 'शुद्ध नक्शा" के अनुसार दूरुस्त करवाकर नक्शा किश्तवार में तरमीम कर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दूरूस्त किया जावे। तद्नुसार नक्शा में दुरूस्ती करने को प्रतिवादी सं० 7 को आदेशित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सशुल्क तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ता 3 व गौण प्रतिवादी सं. 8 ता 10 की ओर से एडवोकेट श्री अजय कुमार सारण एवं प्रतिवादी सं. 4 ता 6 की ओर से श्री प्रीमतसिंह शेखावत ने वकालतनामा व इकबाल जबाब दावा पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पैरोकार राज ने फर्द अहकाम पर प्रकरण में राज्य हित निहित नहीं है तथा नक्शा दुरूस्त करने का आदेश करने पर स्टेट को काई एतराज नहीं होने का अंकन किया। वादी के दावा का कोई खण्डन नहीं होने पर तनकी विरचित नहीं की गई। वादी ने साक्ष्य पेश नहीं कर बहस की इस्तदुआ चाही।

बहस पक्षकारान वाद सुनी गई। वादी [illegible] बहस दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए न्यायालय का ध्यान [illegible] राजस्व अभिलेख की ओर दिलाया गया और कथन किया कि कृषि भूमि गत ख० नं० [illegible]/252 तादादी 5.06 हैक्टेयर, ख० नं0 322/252 तादादी 10.54 हैक्टेयर वादी एवं गौण प्रतिवादीगण सं० 8 ता 10 के पिता हेमाराम एवं प्रतिवादीगण सं० 1 ता 2 के पिता गणपतराम तथा प्रतिवादी सं० 3 के पिता मोहन के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.12.26 16:38:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

Scanned with OKEN Scanner

रही है। वादगत कृषि भूमि के गत ख० नं0 252 तादादी 60 बीघा 10 रोही साजनसर रहे है जो भूमि वादी एवं गौण प्रतिवादीगण सं० 8 ता 10 एवं प्रतिवादीगण सं० 1 ता 3 के पूर्वज आशाराम ने प्रतिवादीगण सं० 1 व 2 के पिता गणपतराम व प्रतिवादी सं० 3 के पिता मोहन के नाम से खरीद की थी। तत्पश्चात उक्त भूमि में से 20 बीघा भूमि का बैनामा दिनांक 20.05.1993 को गणपतराम व मोहनलाल ने जरिये मुखत्यार आम श्री गुलाबचन्द व रतनलाल पि० मोहनलाल द्वारा वादी एवं गौण प्रतिवादीगण सं० 8 ता 10 के पिता हेमाराम पुत्र स्व० आशाराम को विक्रय की गई थी और उक्त भूमि में से दिखणादे व आथूणे पासे की भूमि का कब्जा वादी एवं गौण प्रतिवादीगण सं० 8 ता 10 के पिता को सौंप दिया था जिस पर बैनामा की दिनांक से वादी एवं गौण प्रतिवादीगण सं० 8 ता 10 काबिज काश्त चले आ रहे है। वादगत कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं० 2 मांगीलाल ने अपनी हिस्सा भूमि में से कुछ भूमि प्रतिवादीगण सं0 4 ता 6 को विक्रय कर दी। वर्तमान में वादगत कृषि भूमि वादी एवं गौण प्रतिवादीगण सं० 8 ता 10 एवं प्रतिवादीगण सं० 1 ता 6 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज है।

वादगत कृषि भूमि पूर्व में एकल खसरा नं0 252 थी जिसका विभाजन वादी एवं गौण प्रतिवादीगण सं० 8 ता 10 के पिता हेमाराम एवं प्रतिवादीगण सं० 1 ता 3 के पिता गणपतराम व मोहनलाल के मध्य किया गया जिसके पश्चात वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड को कम्प्यूटराईज करके ऑनलाईन किया गया है जिसमें नये खसरा नम्बर व नक्शों में अपडेशन किया गया है। उक्त अपडेशन के दौरान राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहबन से रही भूलवश वादी एवं गौण प्रतिवादीगण सं० 8 ता 10 के नाम की दिखणादे–आथूणे पासे कृषि भूमि ख० नं0 321/252 तादादी 5.0600 हैक्टेयर का नया खसरा नं0 326 तादादी 5.0600 हैक्टेयर रोही मौजा साजनसर जारी करते हुए उक्त भूमि को नक्शा में उतरी तरफ से कम करते हुए दर्शाते हुए वादी एवं गौण प्रतिवादीगण सं० 8 ता 10 की भूमि का ख० नं0 327 तादादी 10.5400 हैक्टेयर रोही साजनसर में सम्मिलित करते हुए नक्शा तरमीम कर दिया जो अशुद्ध नक्शा है। जिस कारण वादी एवं गौण प्रतिवादीगण सं० 8 ता 10 की भूमि राजस्व रिकॉर्ड के अंकन के मुकाबले मौके पर कम हो गई। जिसे दुरूस्त करने का निवेदन वकील वादी एवं प्रतिवादीगण ने किया। वादीगण के तथ्यों का खण्डन प्रतिवादीगण द्वारा नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों के विचारण में यह तथ्य उभर कर आया कि पक्षकारान वाद के खेतों के नक्शो को मौके व कब्जा काश्त के विपरित तरमीम किया गया है। यह तथ्य वादीगण प्रमाणित करने में सफल रहे है।

वकील वादी, वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 6 व गौण प्रतिवादी सं. 8 ता 10 व पैरोकार राज के तर्कों का ध्यानपूर्वक मनन किया गया और पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया, वादगत कृषि भूमि का राजस्व अभिलेख जमाबन्दीयों व नक्शों को अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य प्रमाणित है कि [illegible] खेतों के नक्शो की आकृति व संरचना सेटलमेंट के कर्मचारियों ने राज[illegible] ऑनलाईन अपडेशन के दौरान मौके के विपरीत तरमीम कर दी है। फलस्वरूप वादीगण [illegible] भूमि के नक्शों को दुरूस्त करवाकर सही तरमीम करवाने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.12.26 16:38:24 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर जिला-चूरू (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

वाद वादी पुष्ट एवं प्रमाणित पाया गया है फलस्वरूप वाद स्वीकार किया जाता है। राजस्थान भूराजस्व की धारा 131, 136 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम साजनसर पटवार मण्डल जीवणदेसर तहसील सरदारशहर की खसरा संख्या 326 एवं 327 की तरमीम आदेश के साथ संलग्न परिशिष्ट 'A' में वर्णित नक्शा अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम शुद्धि की जावे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

डॉ. दिव्या (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 03.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

डॉ. दिव्या (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2024.12.26 16:38:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20,रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सरदारशहर व बइजलास सुश्री दिव्या RAS
अनुवान मीनालाल बनाम जीवणमल आदि
वाद पत्र सं. 292/2022

अन्तर्गत धारा 88 आर. टी. एक्ट 1955 एवं 136 एल आर एक्ट 1956

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री सांवरमल सारण एडवोकेट मिनजानिब मुदई व श्री अजय कुमार सारण, प्रीतमसिंह शेखावत, पैरोकार राज मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, वाद वादी पुष्ट एवं प्रमाणित पाया गया है फलस्वरूप वाद स्वीकार किया जाता है। राजस्थान भूराजस्व की धारा 131, 136 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम साजनसर पटवार मण्डल जीवणदेसर तहसील सरदारशहर की खसरा संख्या 326 एवं 327 की तरमीम आदेश के साथ संलग्न परिशिष्ट 'A' में वर्णित नक्शा अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम शुद्धि की जावे।

..... बीज ..... मुबलिग .....
..... बाबत ..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .....
..... फीसदी सालानी आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .....
..... को अदा करें। मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03 माह 12 सन् 2024 को जारी की गई।

मोहर

डॉ. दिव्या (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाहा	रूपया	पै.
स्टाम्प अरर्जीदावा	04	00	स्टाम्प वकालतनामा	04	00
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	150	00	महनताना वकील	00	00
महनताना वकील	00	00	खर्चा गवाहान	00	00
खर्चा गवाहान	00	00	फीस कमिश्नर	00	00
फीस कमिश्नर	00	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00	मुतफर्रिक	04	00
मुतफर्रिक	03	00	मिजान		
मिजान	08	00			

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.12.26 16:38:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner